न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः गोपाल लाल बंजारा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 05/2020

उनवान मुकदमा

1 श्री मकसुद अहमद पुत्र श्री मोहम्मद हनीफ, जाति मुस्लिम निवासी ग्राम तलवाडा, तहसील एवं जिला बांसवाडा (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1 श्री राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील एवं जिला बांसवाडा (राज.)

2 हरीशचन्द्र पिता श्री शिवशंकर जी, जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम तलवाडा तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राज. अधिनियम

प्रार्थी वकील :– श्री तस्लीम अहमद
श्री यशपाल गुप्ता
अप्रार्थी वकीलः– श्री देवेन्द्र निगम

निर्णय

दिनांक :21.02.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री मकसूद अहमद पुत्र श्री मोहम्मद हनीफ जाति मुस्लमान निवासी ग्राम तलवाडा ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की ग्राम तलवाडा की कृषि भूमि खसरा संख्या 3089 रकबा 0.1700 एवं आबादी भूमि खसरा संख्या 6030/3088 रकबा 1.10 कुल संख्या 2 रकबा 2.07 बीघा से लगती हुई अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि खसरा संख्या 3090 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा जिसमें 10 बिस्वा आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि एवं शेष रकबा 14 बिस्वा कृषि भूमि ग्राम तलवाडा में स्थित है। अप्रार्थी के खसरा संख्या 3090 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा से ही लगता हुआ, प्रार्थी का खसरा संख्या 3089 रकबा 0.1700 बीघा कृषि भूमि स्थित है। अप्रार्थी संख्या 2 के खाते में कुल 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि है, परन्तु सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व रिकॉर्ड नक्शे में खसरा संख्या 3090 का सही तरमीम नही होने से नक्शे में खसरा संख्या 3090 का 1 बीघा 4 बिस्वा के स्थान पर 3.00 बीघा हो गया। अप्रार्थी के खसरा संख्या 3090 का रकबा राजस्व नक्शे में अधिक रकबा दर्शा दिये जाने के कारण प्रार्थी के खसरा संख्या 3089 तथा खसरा संख्या 6030/3088 के उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में दर्शा रहा है। जिसके कारण अप्रार्थी –प्रार्थी की खसरा संख्या 3089 एवं 6030/3088

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा,जिला बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

के आवागमन को बाधित करने की चेष्टा कर रहा है। अप्रार्थी का खसरा संख्या 3090 का रकबा राजस्व नक्शे में अधिक हो गया है अतः राजस्व नक्शे में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा संख्या 3090 का रकबा सही तरमीम किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी प्रस्तुत हुआ। जिसकी प्रति प्रार्थी के अधिवक्ता को दी गई है। दिनांक 12.10.2020 को अप्रार्थी संख्या 2 को आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी को इस न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा इस आदेश के विरूद्ध एक निगरानी माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के द्वारा प्रकरण संख्या निगरानी एल.आर.एक्ट संख्या 54/2021 जिला बांसवाडा श्री हरिशचन्द्र बनाम मकसूद में निर्णयन दिनांक 27.04.2022 के द्वारा निगरानी सारहीन होने से खारीज की गई।

इस आदेश से असन्तुष्ट होकर प्रार्थी हरिशचन्द्र द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रीट प्रस्तुत की गई। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रीट पीटीशन नम्बर 7730/2022 में निर्णय दिनांक 12.09.2022 रीट पीटीशन खारीज(Dismiss) की गई। प्रकरण मे पत्रावली राजस्व मण्डल पुनः प्राप्त होने पर पुनः नम्बर पर ली जाकर सुनवाई प्रारम्भ की गई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार बांसवाडा की रिपोर्ट प्राप्त होकर शामील पत्रावली है ।अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी की भूमि की संशोधित तरमीम कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। पत्रावली में जमाबंदी प्रतिलिपियों अनुसार प्रार्थी मकसुद अहमद पिता मोहम्मद हनीफ मुसलमान तलवाडा के नाम ग्राम तलवाडा की खसरा संख्या 3089 रकबा 0.17 बीघा किस्म तालाब–2 तथा खसरा संख्या 6030/3088 रकबा 1.10 बीघा किस्म आबादी का रिकॉर्ड मय नक्शा ट्रेस पत्रावली में संलग्न है।

अप्रार्थी संख्या 2 हरिशचन्द्र पिता शिवशंकर ब्राह्मण निवासी तलवाडा के नाम दर्ज ग्राम तलवाडा की खसरा संख्या 3090 रकबा 0.14 बीघा (14 बिस्वा) भूमि की जमाबंदी की नकल संलग्न है। खसरा संख्या 3090 का नक्शा ट्रेस पत्रावली में संलग्न है। दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली तहसीलदार बांसवाडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट संलग्न है जिसका अवलोकन किया गया तहसीलदार बांसवाडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित ग्राम तलवाडा की खसरा संख्या 3090 का रकबा रिकॉर्ड अनुसार 1.04 बीघा दर्ज है जो नक्शे अनुसार लगभग 3.00 बीघा हैं इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उसकी खसरा संख्या 3089 व खसरा संख्या 6030/3088 के उतरी व दक्षिणी तरफ दर्शा रहा हैं। तथा खसरा संख्या 3090 का रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा के बजाय 3 बीघा का नक्शा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा दर्शा दिया गया है जो कि तहसीलदार की रिपोर्ट से भी साबित होता है। प्रार्थी द्वारा उसकी 3089 व 6030/3088 पर आवागमन में खसरा संख्या 3090 का खातेदार अप्रार्थी आवागमन बाधित करने की चेष्टा कर रहा है। अतः खसरा संख्या 3090 का रकबा 1 बिघा 4 बिस्वा के बजाय नक्शा 3 बीघा का दर्शाया है तो खसरा संख्या 3090 का नक्शा दर्ज रकबे अनुसार शुद्ध तरमीम किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा प्रार्थी को यदि अपनी खाते की भूमि में

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा,जिला बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

आवागमन हेतु स्थायी रास्ते की आवश्यकता हो तो सक्षम न्यायालय विधि संगत प्रावधान अनुसार वाद/प्रर्थना पत्र पेश किया जावें।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा तरमीम निरस्त (खारीज) किया जाता है। प्रार्थी को यदि अपनी आराजी पर आने जाने के लिए रास्ते हेतु सक्षम न्यायालय में वाद पेश कर राहत प्राप्त की जावे। तहसीलदार बांसवाडा को आदेशित किया जाता है कि आपने इस प्रकरण में अपनी रिपोर्ट में खसरा संख्या 3090 का रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा के बजाय 3.00 बीघा नक्शे में दर्शाया जाना अंकित किया है अतः इस आराजी का रकबा 3 बीघा के बजाय रिकॉर्ड अनुसार 1 बीघा 4 बिस्वा राजस्व नक्शे में तरमीम हेतु सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत किया जावे।

आदेश लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय प्रति तहसीलदार बांसवाडा को पालनार्थ भेजी जावे।

(गोपाल लाल बंजारा)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner